eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 11, November 2024

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में समावेशी शिक्षा

डॉ0 दीपा कृष्ण[1]
[1]असिस्टेण्ट प्रोफेसर बी0एड0, लाला महादेव प्रसाद वर्मा बालिका महाविद्यालय, गोसाईगंज, लखनऊ

Received: 24 Oct 2024 Accepted & Reviewed: 25 Nov 2024, Published : 30 November 2024

Abstract

भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है। हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। लोकतांत्रिक समाज की स्थापना हेतु हमारे संवैधानिक मूल्य स्पष्ट दिशा–निर्देश प्रदान करते हैं और इस प्रकार समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। समावेशी समाज की स्थापना में समावेशी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि शिक्षा ही सामाजिक न्याय और समानता को हासिल करने का एकमात्र प्रभावी साधन है। यह ना सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है बल्कि समतामूलक एवं समावेशी समाज के निर्माण के लिये भी अनिवार्य कदम है। इसी महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में समतामूलक और समावेशी विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। प्रस्तुत शोधपत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विभिन्न विशिष्ट वर्गों की शिक्षा एवं समावेशन के संदर्भ में सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत करने का एक प्रयास है।

कूट शब्द – समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति

Introduction

भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है। हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। लोकतांत्रिक समाज की स्थापना हेतु हमारे संवैधानिक मूल्य स्पष्ट दिशा–निर्देश प्रदान करते हैं और इस प्रकार समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता हासिल करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा ना सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज के निर्माण के लिये भी अनिवार्य कदम है, जिससे प्रत्येक नागरिक को अपने सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्रहित में योगदान देने के अवसर उपलब्ध हो सकें। इस दृष्टि से शैक्षिक क्षेत्र में बालक को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक समाज में बालक के समुचित समावेश हेतु वातावरण का सृजन किया जा सके। समावेशन की ठोस प्रक्रिया प्रतीकात्मक लोकतंत्र से भागीदारी आधारित लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करती है।

उपरोक्त के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को गढ़ने का लक्ष्य रखती है, जिससे कोई भी भारतीय बालक अपने जन्म अथवा पृष्ठभूमि संबंधी परिस्थितियों के कारण सीखने और श्रेष्ठता की ओर बढ़ने के अवसर से वंचित ना रह जायें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसका उद्देश्य एक समतामूलक और समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना है, जिससे सभी बच्चों को सीखने

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 11, November 2024

और सफल होने के समान अवसर उपलब्ध हों और परिणाम स्वरूप वर्ष 2030 तक सभी लैंगिक और सामाजिक वर्गों की शिक्षा में भागीदारी और सीखने के प्रतिफल के स्तर पर समानता सुनिश्चित हो। शिक्षा में यू0आर0जी0 (underrespresented groups) के अंतर्गत व्यापक रूप से विशेष लैंगिक पहचान (महिलाएं एवं ट्रांसजेण्डर), सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम एवं प्रवासी समुदाय) विशेष आवश्यकता वाले (जिन्हें सीखने में विशेष चुनौतियाँ पेश आती हैं) एवं विशेष सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों वाले (जैसे–शहरी गरीब) लोग आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में इन सभी विशिष्ट वर्गों की शिक्षा एवं समावेशन हेतु विस्तार से चर्चा की गई है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

1– शिक्षा में अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के उत्थान हेतु प्रयास– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में उपरोक्त के संदर्भ में आरम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल, बुनियादी साक्षरता और शिक्षा में पहुँच, नामांकन और उपस्थिति के संदर्भ में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है और उनके समाधान हेतु नीतिगत प्रावधानों पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही साथ वंचित क्षेत्रों में विशेश शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने, शिक्षकों की उपलब्धता एवं क्षमता में संवर्धन, स्कूलों में समावेशी वातावरण के निर्माण, प्रत्येक विद्यार्थी का एक डेटाबेस तैयार करके एक विशेष ट्रैक प्रणाली का विकास करने, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक विशेष राष्ट्रीय कोष की स्थापना तथा सहयोग हेतु अन्य वैकल्पिक साधनों के विषय में बताया गया है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में उपरोक्त समूहों हेतु जिलेवार वित्तीय सहायता एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराने तथा समावेशी शिक्षा पर स्वतंत्र शोध हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के सहयोग हेतु नीति के समन्वित और एकीकृत क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

2– क्रॉस कटिंग थीम के रूप में लड़कियों की शिक्षा– वर्तमान समय में शिक्षा तक बालिकाओं की पहुँच ही वह मार्ग है जिससे गरीबी और हिंसा दूर होगी। यह सामुदायिक स्वास्थ्य को तो बढ़ाता ही है, साथ ही आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे लाभान्वित होती हैं। उपरोक्त कारणों से और शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए यह नीति, जेंडर को नीति क्रियान्वयन के सभी पहलुओं में एक अंतनिर्हित प्राथमिकता के रूप में देखती है। नीति में सभी बालिकाओं को समान और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुलभ कराने हेतु एक ''जेण्डर समावेश कोष'' विकसित करने की बात कही गयी है जो स्कूल व्यवस्था में 100 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा अधिकाधिक लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित करने, सभी स्तरों पर शैक्षिक उपलब्धि में लड़के–लड़कियों के मध्य अंतर कम करने, मानसिकता में बदलाव लाने तथा नुकसान देह प्रयासों को समाप्त करने, लड़कियों में नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने जिससे भविष्य में रोल मॉडल तैयार हो तथा उपलब्ध प्रभावी तरीके और सीख के प्रसार हेतु सिविल सोसाइटी के साथ संवाद को बेहतर बनाने जैसे पाँच स्तम्भों पर केन्द्रित होगा। इस कोष के द्वारा फार्मूला और विवेकाधीन दो प्रकार के अनुदान दिये जा सकेंगे। नीति में शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने, महिलाओं को काम पर रखने और बनाये रखने को सुगम बनाने के लिए संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम लागू करने जिससे शिक्षकों को शिशु गृह की सुविधा उपलब्ध हो, की बात की गई है। इसके अतिरिक्त स्कूल शिक्षकों के बीच लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर योग्यता और वरीयता से समझौता किये बिना महिला शिक्षक भर्ती के लिए वैकल्पिक रास्ते

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 11, November 2024

विकसित करने, स्कूल में बालिकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने, स्कूल में अनुपस्थिति को बढ़ावा देने वाली सामाजिक प्रथाओं और जेण्डर सम्बन्धी रूढ़ियों हेतु कदम उठाने, स्कूलों में जेण्डर सम्बन्धी संवेदनशीलता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी नीति में विचार किया गया है जो बालिकाओं तक शिक्षा की पहुँच में अपनी महती भूमिका रखते हैं।

3– अनुसूचित जाति के समुदायों और अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बद्ध बच्चों की शिक्षा– विभिन्न ऐतिहासिक और भाषाई कारकों के कारण, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय कई स्तरों पर गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। स्कूल शिक्षा में सामाजिक वर्गों के बीच पहुँच, भागीदारी और अधिगम स्तर सम्बन्धी असमानता को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों का एक प्रमुख लक्ष्य रहेगा। इस असमानता को दूर करने हेतु वर्तमान में चल रहे कार्यक्रम तथा शिक्षा में अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के उत्थान हेतु किये जाने वाले प्रयासों के अतिरिक्त एस0सी0 और ओ0बी0सी0 समुदायों से शिक्षकों की भर्ती तथा अनुवादित शिक्षण सामग्री जैसे कदम उठाये जायेंगे।

4– आदिवासी समुदाय के बच्चों की शिक्षा– बहुत से ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारणों से आदिवासी समुदाय और आदिवासी बच्चे कई स्तरों पर गम्भीर वंचनाओं का सामना करते हैं। आदिवासी समुदाय के बच्चे अक्सर स्कूली शिक्षा के अप्रासंगिक होने और अकादमिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उनके जीवन से कटे होने की बात करते हैं। हालॉकि आदिवासी बच्चों के उत्थान हेतु कई कार्यक्रम अनवरत रूप से चल रहे हैं, लेकिन कभी–कभी बच्चों को भौगोलिक बाधाओं, सजगता की कमी, प्रबन्धन और समुदाय में इन सुविधाओं की जानकारी के अभाव के कारण इन कार्यक्रमों का लाभ नहीं मिल पाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में अल्प प्रतिनिधि समूहों के लिए दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा को सार्थक बनाने (पाठ्य चर्चा और शिक्षण को उनके संदर्भ में ढालने) तथा राज्य स्तर और आदिवासी बहुल जिलों में आदिवासी समुदायों से चयन कर समुदाय समन्वयक नियुक्त करने की बात की गई है।

5– अल्पसंख्यक समुदायों के अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बच्चों की शिक्षा– यह नीति सभी अल्पसंख्यक और धार्मिक समुदायों, विशेषकर शैक्षिक रूप से अल्प प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के बच्चों में शिक्षा के प्रसार के महत्व को स्वीकार करती हैं। स्कूल और उच्च शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक समुदायों में से सबसे कम भागीदारी मुस्लिम समुदाय की है, हालॉकि मुस्लिम बच्चों के नामांकन और ठहरावमें काफी सुधार हुआ है, फिर भी मुस्लिम और जनसंख्या के दूसरे समूहों के बीच अंतर बहुत ज्यादा है। इनके लिये नीति में अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के उत्थान हेतु प्रयासों के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों को स्कूली शिक्षा को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपूर्ति पक्षीय हस्तक्षेप तथा मदरसे, मकतब और अन्य परंपरागत और धार्मिक स्कूलों का सशक्तिकरण और उनकी पाठ्यचर्या का आधुनिकीकरण के बारे में बताया गया है।

6– शहरी निर्धन परिवारों के बच्चों की शिक्षा– शहरी निर्धन परिवारों में लगभग एक करोड़ बच्चे रहते हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिनमें से लगभग आधे गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हैं जबकि तीन चौथाई निरक्षर हैं। शहरी निर्धन परिवारों के बहुत से बच्चों के बचाव का एकमात्र रास्ता उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना है जिससे कि वे समाज के खुशहाल और उत्पादक सदस्य बनें। इनके लिए शैक्षिक पहुँच को लेकर केन्द्रित प्रयास, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सलाहकारों की भूमिका तथा शहरी निर्धन लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनी पाठ्यचर्या अतिरिक्त विशेष नीतिगत बिन्दुओं में शामिल है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 11, November 2024

7– ट्रांसजेण्डर बच्चों की शिक्षा– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में ऐसे बच्चों की स्कूली शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने, उनके साथ समाज और शिक्षा में होने वाले भेदभाव और तिरस्कार को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की बात की गई है। इनके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने, विद्यालय में उनके लिए अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण बनाने, पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों में ट्रांसजेण्डर से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखकर आवश्यक बदलाव करने, शिक्षकों को उनके प्रति संवेदनशील बनाने तथा इनके लिये सिविल सोसाइटी समूहों की भागीदारी के विषय में बात की गई है।

8– विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा– इस नीति के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हासिल करने के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इन बालकों को सार्थक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, इस हेतु जो अतिरिक्त नीतिगत पहल की जायेगी, उनमें शामिल हैं– सामान्य स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश, इन बालकों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग, इनकी स्कूल तक पहुँच विशेष, आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश, घर में ही शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान, श्रवण–बाधित बच्चों के लिए मुक्त विद्यालय की उपलब्धता, क्रॉस डिसेबिलिटी प्रशिक्षण प्राप्त विशेष शिक्षक और चिकित्सक तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ।

निष्कर्ष :– उपरोक्त के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सार रूप में यह कहा जा सकता है कि नीति में व्यापक रूप से विशेष लैंगिक पहचान, सामाजिक– सांस्कृतिक पहचान, विशेष आवश्यकता वाले तथा विशेष सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों वाले बालकों के समावेशन हेतु सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया है तथा समावेशन हेतु विस्तृत योजना भी दी गयी है। यदि नीति अनुरूप प्रावधानों को अमल में लाया जा सके तो वर्ष 2030 तक भारत में समावेशी समाज की स्थापना का लक्ष्य निःसंदेह पूरा हो सकेगा।

संदर्भ :–

1– Sharma, Yogendra K. & Madhulika ; Inclusive education conceptual framework, Approaches and Facilitators (2014) ; Kankishka Publishers and Distributors, New Delhi.

2– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

3– ठाकुर यतीन्द्र ; समावेशी शिक्षा (2018), अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।